

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 100062/2016 वैवाहिक

सोनू सिंह तोमर पुत्र श्री छोटे सिंह तोमर आयु
22 साल निवासी एण्डोरी परगना गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती मोना पत्नी सोनू तोमर पुत्री जसरथ सिंह
परिहार आयु 21 साल निवासी एण्डोरी परगना
गोहद, हाल निवासी ग्राम उमरी विलवा टोरा
उमरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश ।

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता
अनावेदिका एक पक्षीय

//नि र्ण य//
// आज दिनांक 17-2-17 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना वाबत् अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि आवेदक सोनू सिंह का विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 7-5-14 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ । इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है ।

03. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि उसका विवाह 7-5-2014 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था । तब से आवेदक एवं अनावेदिका आपस में पति पत्नी हैं तथा आवेदक ग्राम एण्डोरी परगना गोहद का निवासी है । शादी के कुछ समय तक अनावेदिका अच्छी तरह से रही उसके बाद लड़ने झगड़ने लगी तथा अपने माता पिता के पास ग्राम उमरी विलवा टोला जिला जालोन में निवास करने के लिये जिद करने लगी । आवेदक अपने परिवार को बचाने के लिये सामन्जस्य बिठाने का प्रयास करने लगा । अनावेदिका आवेदक के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी इस कारण जमीन बेचकर अनावेदिका तथा स्वयं के निवास के लिये ग्राम एण्डोरी में अलग से मकान बनाकर निवास करने लगे । अनावेदिका की इच्छा की पूर्ति के लिये उसके मांग किये जाने पर जेवरात भी उसके कब्जे में दे दिये । अनावेदिका आवेदक के साथ में शादी के पश्चात् 8 दिन उसके घर पर निवास किया तथा उसके पश्चात् अपने मायके चली गई । उसके बाद अनावेदिका एक माह बाद विदा होकर आयी तथा घटना दिनांक 11-9-16 को अनावेदिका की मां और उसकी वहिन का देवर पुत्तू सिंह निवासी तिडवा एवं भाई रमेश आवेदक के निज निवास आए और सुबह 6 बजे उसकी मारपीट की और उसकी पत्नी को अपने साथ ले लेकर चले गये । अनावेदिका साथ में सोने चांदी के जेवरात आदि भी ले गयी । आवेदक को पति सुख से बंचित कर दिया है जबकि आवेदक अपनी पत्नी को अपने साथ में रखने को तैयार है और वह उसे अपने साथ रखने का अधिकारी है । आवेदक के द्वारा दिनांक 13-9-16 को अनावेदिका को अपने साथ लाने का प्रयास किया किन्तु अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ में रहने से इन्कार किये जाने के कारण से अनावेदिका आवेदक के साथ पत्नी धर्म का पालन न करते हुये नहीं रह रही है । आवेदक का स्थायी निवास ग्राम एण्डोरी परगना गोहद में है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्ली प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

04. उपरोक्त आवेदन का अनावेदिका के द्वारा रजिस्टर्ड डांक से जवाब दावा पेश किया गया है जिसमें उसके द्वारा विवाह होने के तथ्य को स्वीकार करते हुये आवेदनपत्र के शेष अभिवचनों से इन्कार किया है और इस बात से इन्कार किया है कि विवाह के पश्चात् उसके द्वारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और न ही वह अपने माता पिता के पास जाकर रहने लगी तथा न ही आवेदक ने अपनी जमीन बेचकर विपक्षी के लिये अलग मकान बनवा दिया । आवेदक के द्वारा उसे कोई जेवर आदि नहीं दिये हैं बल्कि आवेदक पक्ष ने संपूर्ण जेवर छीनकर घर से भगा दिया था तब से वह अपने मायके में रह रही है । आवेदक ने

अनावेदिका को अपने साथ रखने का कभी कोई प्रयास नहीं किया है । आवेदक पक्ष अनावेदिका से हमेशा दहेज की मांग करता रहा है । ऐसी दशा में आवेदक की ओर से पेश याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है । उपरोक्त जवाब दावा अनावेदिका के द्वारा डांक से पेश किया गया है किन्तु अनावेदिका उपस्थित नहीं हुयी है इस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है ।

05- उभयपक्षों के अभिवचन के आधार पर प्रकरण में निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी जिनकी विवेचना उपरांत निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं :-

कं0	वाद	प्रश्न
1-	क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखा गया है ?	
2-	क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण से उसके साथ रखने से इन्कार किया गया है ?	
3-	क्या अनावेदिका स्वतः ही आवेदक के साथ नहीं रहना चाहती ?	
4-	क्या आवेदक दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने की अधिकारी है ?	
5-	सहायता एवं व्यय ?	

—::सकारण निष्कर्ष::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1,2,3 :-

06. आवेदक सोनू तोमर आ0सा01 के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में

आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसका विवाह 7-5-2014 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था । तब से आवेदक एवं अनावेदिका आपस में पति पत्नी हैं तथा आवेदक ग्राम एण्डोरी परगना गोहद का निवासी है । शादी के कुछ समय तक अनावेदिका अच्छी तरह से रही उसके बाद लड़ने झगड़ने लगी तथा अपने माता पिता के पास ग्राम उमरी विलवा टोला जिला जालोन में निवास करने के लिये जिद करने लगी । आवेदक अपने परिवार को बचाने के लिये सामन्जस्य बिठाने का प्रयास करने लगा । अनावेदिका आवेदक के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी इस कारण जमीन बेचकर अनावेदिका तथा स्वयं के निवास के लिये ग्राम एण्डोरी में अलग से मकान बनाकर निवास करने लगे । अनावेदिका की इच्छा की पूर्ति के लिये उसके मांग किये जाने पर जेवरात भी उसके कब्जे में दे दिये । अनावेदिका आवेदक के साथ में शादी के पश्चात् 8 दिन उसके घर पर निवास किया तथा उसके पश्चात् अपने मायके चली गई । उसके बाद अनावेदिका एक माह बाद विदा होकर आयी तथा घटना दिनांक 11-9-16 को अनावेदिका की मां और उसकी बहिन का देवर पुत्तू सिंह निवासी तिडवा एवं भाई रमेश आवेदक के निवास पर आए और सुबह 6 बजे उसकी मारपीट की और उसकी पत्नी को अपने साथ ले लेकर चले गये । अनावेदिका साथ में सोने चांदी के जेवरात आदि भी ले गयी । आवेदक अपनी पत्नी को अपने साथ में रखने को तैयार है और वह उसे अपने साथ रखने का अधिकारी है । आवेदक के द्वारा दिनांक 13-9-16 को अनावेदिका को अपने साथ लाने का प्रयास किया किन्तु अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ में रहने से इन्कार किये जाने के कारण से अनावेदिका आवेदक के साथ पत्नी धर्म का पालन न करते हुये नहीं रह रही है ।

07. आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के आधार पर उपरोक्त शपथपत्र में किया गया कथन अखण्डनीय रहे हैं। उक्त शपथपत्र में किया गया कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

08. आवेदक सोनू सिंह के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी भीकमसिंह आ.सा. 2, अजमेर सिंह अ0सा03 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे हैं।

09. अनावेदिका जिसने कि अपना जवाब दावा जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट पेश किया है उसके द्वारा उपस्थित होकर कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है । ऐसी दशा में आवेदक के

कथन अखण्डनीय रहे हैं । अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग करना और बिना युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के उसके साथ न रहना प्रमाणित है औ यह भी प्रमाणित है कि वह स्वतः आवेदक के साथ नहीं रहना चाहती । तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1,2,3 प्रमाणित होना पाये जाते हैं ।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक -4:-

10. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें आवेदक सोनू तोमर का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी भीकमसिंह आ.सा. 2 एवं अजमेर सिंह अ0सा03 के कथनों से भी होती है, यह प्रमाणित होता है कि आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 7-5-14 को सम्पन्न हुआ था तथा यह भी प्रमाणित होता है कि अनावेदिका को आवेदक को छोड़कर अपने मायके में रह रही है । उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है । उपरोक्त बिन्दु का निराकरण तदनुसार किया जाता है ।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 5:-

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहिता पत्नी है, वह स्वयं आवेदक के साथ रहकर पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची मुताविक जो भी कम हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञा तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड